कार्यालय प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक सुकमा

कुम्हारररास जिला–सुकमा (छ0ग0) पिन–494111

दूरभाष : 07864-284078 वेबसाइट : www.gpolysukma.in ईमेलः gpolysukma@gmail.com

---

<u>सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 04 की उपधारा (1) (ख) के अनुसार विभाग से संबंधित जानकारियाँ</u>

(1) संस्था की विशिष्टियॉ, कृत्य और कर्तव्य :

शासकीय पॉलीटेक्निक सुकमा, छ0ग0 शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर के अधीन, संचालक तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से समस्त प्रशासकीय नियंत्रण में तीन वर्षीय पत्रोपाधि पाठ्यक्रम संचालित करती हैं । संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली के पत्र **F.No. Central/1-9320992596/2021/EOA Date: 25-June-2021** द्वारा 2021–22 के लिये अनुमोदन प्राप्त हैं ।

वर्तमान में **सिविल, इलेक्ट्रिकल** एवं **मेकेनिकल** (जिसमें इलेक्ट्रिकल में 60 प्रवेश क्षमता तथा सिविल, मेकेनिकल में 30 , **कुल 120 प्रवेश क्षमता**) में तीन वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित हैं । छ0ग0स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के पत्र क्र. **Ref. No./CSVTU/Affil/2020-21/ 1871, Date 14-08-2020** के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिये संबंद्धता प्राप्त हैं । समस्त अकादमिक गतिविधियों जैसे पाठ्यक्रम, परीक्षा आदि का संचालन एवं नियंत्रण विश्वविद्यालय के नियमों के अधीन हैं । संस्था में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा तथा कौशल विकास का कार्य करती हैं ।

(2) अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां

तकनीकी शिक्षा के गुणवत्तायुक्त विकास, समन्वय एवं मार्गदर्शन के लिए संस्था के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले कार्य :–

1. संस्था का प्रशासकीय नियंत्रण।
2. संचालनालय द्वारा राज्य स्तर पर केन्द्रीयकृत ऑन–लाइन काउंसिलिंग के द्वारा संस्था में प्रवेश देने की प्रक्रिया।
3. शैक्षणिक कार्यो का संपादन।
4. छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के अधीन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम की समस्त शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण।
5. मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में पंजीकृत एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन ।

(3) विनिश्चय करने की प्रकिया में पालन की जाने वाली प्रकिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैः–

1 सेक्सन लिपिक → लेखापाल → मुख्यलिपिक → प्राचार्य

2 व्याख्याता → विभागाध्यक्ष → प्राचार्य

(4) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमानः–

1 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का पूर्णतः अनुपालन करना ।

2 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली द्वारा निर्धारित के निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन।

3 छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई द्वारा 03 वर्षीय पत्रोपाधि पाठ्यक्रम हेतु अध्यादेश (17) के तहत निर्धारित नियमों / मानदण्डों का अनुपालन।

(5) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख :–

1. छ0ग0 शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार।
2. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली के निर्धारित मानदण्ड।
3. छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई द्वारा निर्धारित नियम।

(6) ऐसे दस्तावेजों के,जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरणः–

– संस्था के समस्त सेक्शन में संधारित अभिलेख ।

(7) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां,जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैः

– शासन / संचालनालय के निर्देशों के अनुरूप ।

(8) ऐसे बोर्डों,परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों,समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरणः–

<u>प्रवेश समिति</u> :–

1. श्री तोषण कुमार श्रीवास, व्याख्याता – गणित	– अध्यक्ष
2. श्री गोविन्द प्रसाद वर्मा, व्याख्याता –विद्युत	– सदस्य
3. श्री गौरव गुप्ता, व्याख्याता– सिविल	– सदस्य
4. श्री केदार सिदार, व्याख्याता – भौतिकी	– सदस्य

संस्था में रैगिंग तथा उससे संबधित मामलों और आनुशंगिक विषयों के निराकरण हेतु निम्नानुसार <u>एंटी रैगिंग समिति</u> के सदस्य है:–

1. श्री गौरव गुप्ता, व्याख्याता– सिविल – अध्यक्ष
2. श्री तोषण कुमार श्रीवास, व्याख्याता – गणित – सदस्य
3. श्री केदार सिदार, व्याख्याता – भौतिकी – सदस्य
4. श्री गजेन्द्र देवांगन, व्याख्याता– मेकेनिकल – सदस्य
5. श्री गोविन्द प्रसाद वर्मा, व्याख्याता –विद्युत – सदस्य

<u>क्रय समिति</u> :–

1. श्री गजेन्द्र देवांगन, व्याख्याता– मेकेनिकल – अध्यक्ष
2. श्री गौरव गुप्ता, व्याख्याता– सिविल – सदस्य
5. श्री गोविन्द प्रसाद वर्मा, व्याख्याता –विद्युत – सदस्य
6. श्री केदार सिदार, व्याख्याता – भौतिकी – सदस्य

(9) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका:–

क्र.	अधिकारी /कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल नम्बर
1.	श्री गजेन्द्र कुमार साहू	व्याख्याता–विद्युत/प्राचार्य (प्रभारी)	7879119090
2.	श्री गोविन्द प्रसाद वर्मा	व्याख्याता–विद्युत	9806320065
3.	श्री गजेन्द्र देवांगन	व्याख्याता– मेकेनिकल	8770204499
4.	श्री गौरव गुप्ता	व्याख्याता– सिविल	9911613484
5.	श्री तोषण कुमार श्रीवास	व्याख्याता– गणित	7222921301
6.	श्री केदार सिदार	व्याख्याता– भौतिकी	7999063380

(10) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रामिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो:–

संस्था के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मासिक वेतन माह अगस्त 2017			
क्र.	अधिकारी /कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतन (लेवल)
1.	श्री गजेन्द्र कुमार साहू	व्याख्याता–विद्युत/प्राचार्य (प्रभारी)	9ए
2.	श्री गोविन्द प्रसाद वर्मा	व्याख्याता–विद्युत	10
3.	श्री गजेन्द्र देवांगन	व्याख्याता– मेकेनिकल	9ए
4.	श्री गौरव गुप्ता	व्याख्याता– सिविल	9ए

5.	श्री तोषण कुमार श्रीवास	व्याख्याता– गणित	10
6.	श्री केदार सिदार	व्याख्याता– भौतिकी	10

(11) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियॉ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजटः–

वर्ष 2021–22 हेतु आबंटित बजट (राशि रूपयों में)			
क.	योजना / कार्यक्रम / सेक्टर	प्राप्त आबंटन (लाख रू. में)	व्यय
1.	वेतन भत्ते आदि	42.09	
2.	मजदूरी	2.00	
3.	यात्रा भत्ता	0.50	
4.	कार्यालयीन व्यय	6.25	
5.	प्रशिक्षण	0.10	
6.	व्यवसायिक सेवाओ हेतु अदायगियों 010 सुरक्षा व्यय	0.50	
7.	छात्रवृत्तियां एवं अन्य हितलाभ	0.00	
8.	अन्य हितलाभ (संबद्वता भाुल्क)	0.40	
9.	अनुरक्षण कार्य 001 मोटर गाड़ी	0.30	
10.	मशीन तथा उपकरण	0.10	
11.	औजार एवं संयंत्र 003 आपरेटिंग / संधारण पर व्यय	0.20	
12.	कोचिंग / प्रतियोगितायें	0.50	
13.	ड्राइंग सामाग्री का प्रदाय	1.00	
14.	मांग संख्या (एस. सी. /एस. टी.) कोचिंग	0.50	
15.	बुक बैंक की स्थापना	1.00	

(12) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे काग्रक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं :

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना : तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा ग्रहण करने वाले निर्धन परिवार के शिक्षार्थीयों को बैंको द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर के भार को दृष्टिगत रखते हुये राज्य शासन द्वारा मोरेटोरियम अवधि के उपरांत ली जाने वाली ब्याज राशि में अनुदान देने की योजना वित्तीय वर्ष 2012–13 से प्रारम्भ की गई हैं ।

(13) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्रधिकारी के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियॉ :

ट्यूशन फी वेवर स्कीम : यह योजना सत्र 2007–08 से लागू की गई है । इस योजना के अंतर्गत ब्रांचवार स्वीकृत प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें फी वेवर सीटें हैं । मेरिट के आधार पर इन सीटों पर प्रवेशित छात्र–छात्राओं को प्रवेशित संस्था की निर्धारित शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा। छात्र–छात्राओं के पालक/अभिभावक की समस्त स्त्रोतां से सम्मिलित वार्षिक आय 4.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। मेरिट का आधार प्रवेश परीक्षा का रेंक है ।

(14) किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों –

वेब साईट cgdteraipur.cgstate.gov.in या www.gpolysukma.in पर उपलब्ध है।

(15) सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियॉ, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो, कार्यकरण सम्मिलित हैंः निरंक ।

(16) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियॉ :–

स.क्र.	लोक सूचना अधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष
1.	श्री गजेन्द्र कुमार साहू, प्राचार्य (प्रभारी)	जन सूचना अधिकारी	7879119090
2.	श्री तोषण कुमार श्रीवास, व्याख्याता (गणित)	सहायक जनसूचना अधिकारी	7222921301

(17) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए : विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

1. संस्था में विषयवार प्रवेश क्षमता एवं शैक्षणिक सत्र 2020–21 की स्थिति में प्रवेशित छात्रों संबंधी विवरण ।

क्र.	विषय का नाम	प्रवेश क्षमता	प्रथम सेमेस्टर	तृतीय सेमेस्टर	पंचम सेमेस्टर
1.	इलेक्ट्रिकल इंजी0	60	02	05	02
2.	सिविल इंजी0	30	05	10	08
3.	मेकेनिकल इंजी0	30	01	02	03
कुल					
			कुल : 38 विद्यार्थी		

2. **राष्ट्रीय सेवा योजना** : छात्रों की आवश्यक न्यूनतम संख्या नहीं होने के कारण से संस्था में राष्ट्रीय सेवा योजना संचालित नहीं हैं।

3. पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु संचालित स्कॉलरशीप योजनायें –

क्र.	छात्रवृत्ति का नाम	आवश्यक अर्हतायें	जमा किये जाने वाले दस्तावेज
1.	पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति (SC / ST / OBC) (State)	1. छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना आव यक है। 2. विद्यार्थी की आधार नंबर होना अनिवार्य है। 3. विद्यार्थी का स्वंय का बैंक खाता होना अनिवार्य है। 4. एस.सी./एस.टी.छात्रों के पालक की आय रू. 2,50,000 से अधिक नही होनी चाहिये । 5. ओ.बी.सी.छात्रों के पालक की आय रू. 1,00,000 से अधिक नहीं होना चाहिये ।	1. 10 वीं की अंकसूची की छायाप्रति । 2. मूल निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति। 3. स्थाई जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति । 4. आय प्रमाण पत्र की मूलप्रति। 5. प्रवे I शुल्क की रसीद की छायाप्रति । 6. बैंक पासबुक की छायाप्रति । 7. आधार कार्ड की छायाप्रति । 8. रू. 230 प्रति माह (एस.सी एवं एस.टी.) 9. रू. 100 प्रति माह (ओ.बी.सी.)
2.	बी.पी.एल छात्रवृत्ति (सामान्य वर्ग) (State)	1. छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। 2. सामान्य वर्ग के छात्र–छात्राओ के पास बी.पी.एल कार्ड होना अनिवार्य है। 3. छात्र–छात्राओ का नाम बी.पी.एल. कार्ड में अंकित होना चाहिऐ। 4. छात्र–छात्रायें पिछली सभी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहियें।	1. 10 /12 वीं की अंकसूची की छायाप्रति । 2. निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति । 3. स्थाई जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति । 4. पी.पी.टी.स्कोर कार्ड की छायाप्रति । 5. बी.पी.एल कार्ड की छायाप्रति । 6. बैंक पासबुक की छायाप्रति । 7. नवीनीकरण हेतु पूर्व मे उत्तीर्ण की गई परिक्षा की अंकसूची की छायाप्रति । 8. संचालनालय द्वारा पी.पी.टी. आबंटन कापी की छायाप्रति । 9. रू. 500प्रति माह (अधिकतम 10 माह)
3.	अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति (Central)	1. अल्पसंख्यक समुदाय मे निम्न जाति आते है– i) सीख ii) ईसाई iii) पारसी iv) जैन v) बौध्द vi) मुस्लिम। 2. पिछली वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 50% या 50% से अधिक प्राप्त किया हो। 3. परिवार की वार्षिक आय रू. 2,00,000 (दो लाख) से अधिक नही होनी चाहिऐ। 4. छात्र / छात्राओं के नाम का बैंक एकाउंट होना अनिवार्य है।	1. ऑनलाइन आवेदन फार्म की छायाप्रति । 2. पिछली सभी समेस्टर की उत्तीर्ण (न्युनतम 50%) अंकसूची की छायाप्रति । 3. आधार कार्ड की छायाप्रति । 4. बैंक पासबुक (प्रथम पृष्ठ) की छायाप्रति। 5. निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति । 6. वर्तमान वित्तीय वर्ष की आय प्रमाण पत्र की मूलप्रति।
4.	योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति (State)	1. 10/12 वीं की परीक्षा छ.ग. राज्य के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से न्युनतम 45% अंक होना चाहिये। 2. लैटरल एंट्री के तहत द्वितीय वर्ष अर्थात् तृतीय सेमेस्टर में प्रवेशित छात्र के लिए आई.टी.आई./ 12 वीं की व्यवसायिक प्रमाण पत्र धारी छात्र / छात्राओ को अर्हकारी परिक्षा में न्युनतम 45% अंक होना चाहिये। 3. छात्र के पालक / अभिभावक की वार्षिक आय रू. 2.50 लाख से अधिक नही होनी चाहिये।	1. 10 वीं की अंकसूची की छायाप्रति 2. स्थाई जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति 3. निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति 4. पी.पी.टी स्कोर कार्ड एवं आबंटन कापी की छायाप्रति । 5. आई.टी.आई. / 12 वीं की अंकसूची की छायाप्रति लैटरल एंट्री के लिऐ। 6. वर्तमान वित्तीय वर्ष की आय प्रमाण पत्र की मूलप्रति।
5	योग्यता छात्रवृत्ति (State)	1. 10/12 वीं की परीक्षा छ.ग. राज्य स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्था से न्युनतम 60% अंक होना चाहिये। 2. इस छात्रवृत्ति हेतु आय का कोई बंधन नही है।	1. 10 वीं की अंकसूची की छायाप्रति 2. स्थाई जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति 3. निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति 4. पी.पी.टी स्कोर कार्ड एवं आबंटन कापी की छायाप्रति । 5. आई.टी.आई./12 वीं अंकसूची की

		3. लैटरल एंट्री के तहत द्वितीय वर्ष अर्थात् तृतीय सेमेस्टर में प्रवेशित छात्र के लिए आई.टी.आई./12 वीं की व्यवसायिक प्रमाण पत्र धारी छात्र/छात्राओ को अर्हकारी परीक्षा में न्युनतम 60% अंक होना चाहिये।	छायाप्रति लैटरल एंट्री के लिऐ।
6	डॉ. भीमराव अम्बेडकर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (ई.बी.सी.) (सामान्य वर्ग) (Central)	1. यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों के लिये है। 2. छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। 3. परिवार की वार्षिक आय रू. 100000 (एक लाख) रुपये से अधिक नही होनी चाहिऐ।	1. ऑनलाइन आवेदन फार्म की छायाप्रति । 2. निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति । 3.आय प्रमाण पत्र की मूलप्रति।(सक्षम अधिकारी के द्वारा)। 5. रू. 160 प्रति माह ।
7.	दिव्यांगजन हेतु छात्रवृत्ति (Central)	1. 40% या उससे अधिक के दिव्यांगजन। 2. छ.ग. राज्य का मुल निवासी होना आवश्यक है। 3. परिवार की वार्षिक आय रू. 250000 (रुपये दो लाख पचास हजार) रुपये से अधिक नही होनी चाहिऐ। 4. गत परिक्षा में उत्तीर्ण हो।	1. ऑनलाइन आवेदन फार्म की छायाप्रति । 2. निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति । 3.आय प्रमाण पत्र की मूलप्रति।(सक्षम अधिकारी के द्वारा)। 4. दिव्यांगजन प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी के द्वारा)। 5. रू. 230 प्रति माह ।
8.	**अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति मेरिट कम मिन्स (Central)**	1. अल्पसंख्यक समुदाय मे निम्न जाति आते है– ii) सीख ii) ईसाई iii) पारसीा iv) जैन v) बौध्द vi) मुस्लिम। 2. पिछली वर्ष की परीक्षा में न्युनतम 50% या 50% से अधिक प्राप्त कीया हो। 3. परिवार की वार्षिक आय रू. 2,50,000 (दो लाख पचास हजार) रुपये से अधिक नही होनी चाहिऐ। 4. छात्र / छात्राओं के स्वयं के नाम का बैंक एकाउंट होना अनिवार्य है। 5. आवेदक का आधार नंम्बर होना आवश्यक है। 6. छ.ग. राज्य का मुल निवासी होना आवश्यक है।	1. ऑनलाइन आवेदन फार्म की छायाप्रति । 2. पिछली सभी समेस्टर की उत्तीर्ण (न्युनतम 50%) अंकसूची की छायाप्रति । 3. आधार कार्ड की छायाप्रति। 4. बैंक पासबुक (प्रथम पृष्ठ) की छायाप्रति। 5. निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति। 6. आय एवं जाति के संबंध में शपथ पत्र की मुलप्रति। 7. आय प्रमाण पत्र की मूलप्रति।(सक्षम अधिकारी के द्वारा)।

7. विभाग/संस्था में संचालित योजनायें :–

1. एस.सी./एस.टी. के छात्र–छात्राओं हेतु विशेष कोंचिग कक्षाओं का संचालन ।
2. एस.सी./एस.टी. के छात्र–छात्राओं को स्टेशनरी एवं ड्राईंग सामग्री का प्रदाय ।
3. एस.सी./एस.टी.के छात्र–छात्राओं हेतु बुक–बैंक योजनाओं के तहत पुस्तकों की पृथक व्यवस्था ।
4. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत छात्र–छात्राओं को बैंको द्वारा शिक्षा ऋण प्रदाय योजना ।

****